FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

विशनाराम बनाम जोगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा. आवेदन 111, 128 RLR ऐक्ट नं. 52 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/02/16	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाव दिनांक 9/3/16 को पेश हो।	
09/03/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं का ज्ञान किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू. अभि. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी नेखमबन्दी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर के उपरान्त दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

29/07/16 प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली ~~तलब~~ आज पेशी तारीख पर तलब की गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेतों की तहसीलदार बायतु से प्राप्त नेखमबन्दी पालना रिपोर्ट को पुख्ता किया जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार बायतु से प्राप्त ~~की~~ नेखमबन्दी पालना रिपोर्ट पर मनन किया जाकर नेखमबन्दी पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शे में बिन्दु संख्या A से H तक को पुख्ता किया जाता है। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2016 / 205

दिनांकः– 16/3/16

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. विशनाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी लापला, कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. जोगाराम पुत्र उदाराम वगैरा 13 निवासी लापला, कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 42 / 16

आदेश

खसरा नं. 552 रकबा 08.18 बीघा, खसरा नम्बर 726 / 468 रकबा 20.04 बीघा मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया भू अभिलेख वृत बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2016 / 206 - 210.

दिनांकः– 16/3/16

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विशनाराम पुत्र अचलाराम ।
4. विप्रार्थी जोगाराम पुत्र उदाराम वगैरा 13।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner